नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के मा0 सदन की बैठक दिनांक 29 .06. 2018 दिन शुक्रवार जो भूतेश्वर जलकल कम्पाउण्ड स्थित सभागार में पूर्वांन्ह 11:30 बजे सम्पन्न हुई।

प्रस्ताव सं0—1 नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा के मा0 सदन के द्वितीय अधिवेशन दिनांक 12.04.2018 की संम्पुष्टि।	अधिवेशन दिनांक 12.04.2018 के कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई ।
विशेष प्रस्ताव स0—2 लेखाधिकारी की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन के सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के पेंशन/उपादान एवं भविष्य निधि देयों के भुगतान हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 के धारा 548 के उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) सपठित उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अकेन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों की सेवानिवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियमावली संलग्न कर मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।
प्रस्ताव सं0—03 कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार नगर विकास अनुभाग—4 की अधिसूचना सं0—1799/नौ— 7—17—8 सीमा विस्तार/2016 लखनऊ 12 मई 2017 द्वारा सीमा वृद्धि करते हुये नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को सम्मिलित करते हुये नगर निगम मथुरा—वृन्दावन का गठन कर दिया गया है। दोनों नगर पालिकाओं में वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण के प्रतिशत में भिन्नता थी, जिसे सम्पूर्ण नगर निगम के लिये समान किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे मा0 कार्यकारिणी के द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 द्वारा दिनांक 09.02.2018 को आंशिक संशोधन के साथ भवन के वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत ग्रहकर, 10.5 प्रतिशत जलकर एवं 2.5 प्रतिशत सीवर कर आरोपित किया जाना स्वीकार किया गया है। विषय मा0 सदन के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।
विशेष प्रस्ताव सं0—04 कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार नगर विकास अनुभाग—4 की अधिसूचना सं0—1799/नौ—7— 17—8 सीमा विस्तार /2016 लखनऊ 12 मई 2017 द्वारा सीमा वृद्धि करते हुये नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को सम्मिलित करते हुये नगर निगम मथुरा—वृन्दावन का गठन कर दिया गया है। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 385, 541(1), 541(19), 541(26), 541(29), 541(36) 541(42) एवं धारा 542 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के दृष्टिगत नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा "नगर निगम, मथुरा वृन्दावनके ठोस प्रबन्धन उपविधियाँ—2017" को मा0 कार्यकारिणी के द्वारा प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 09.02.2018 को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार किया गया था, विषय मा0 सदन के समक्ष उपविधियॉ सहित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।
विशेष प्रस्ताव स0—5 कर निर्धारण अधिकारी की आख्यानुसार कि नगर विकास अनुभाग—4 की अधिसूचना सं0—1799/नौ— 7—17—8 सीमा विस्तार/2016 लखनऊ 12 मई 2017 द्वारा सीमा वृद्धि करते हुये नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को सम्मिलित करते हुये नगर निगम मथुरा—वृन्दावन का गठन कर दिया गया है। दोनों नगर पालिकाओं में कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन के नियम व शुल्क में भिन्नता थी, जिसे सम्पूर्ण नगर निगम के लिये समान किये जाना है। जिसे दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिये एक समान करते हुये उपविधि तैयार कर दी गयी है। तदनुसार प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।

प्रस्ताव स0—6

कर अधीक्षक की आख्यानुसार सीवेज/सैलेज फार्म काशकारों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को संबोधित प्रार्थना पत्र जिसकी प्रतिलिपि मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 सरकार, मा0 नगर विकास मंत्री जी उ0प्र0 सरकार को भी सन्दर्भित है। कृषकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017—18 में 20 प्रतिशत छूट देते हुये धनराशि जमा करने हेतु दिनांक 19.04.2018 को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017—18 कें माह मार्च में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण कृषकों की फसल को वहुत हानि हुई है, तथा भारी ओलावृष्टि एवं बरसात से हुए जलभराव के कारण फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में भारी ओलावृष्टि एवं बरसात से हुए आर्थिक क्षति के सापेक्ष छूट दिये जाने का विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए उन्ही किसानों को सैलेज फार्म का ठेका लेने एवं ठेका धनराशि 15 दिवस के अन्दर निगम में जमा कराने पर छूट दिया जाना सर्वसम्मति स्वीकार है।

विशेष प्रस्ताव स0—7

कर निर्धारण की आख्यानुसार सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए उपरोक्त 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक चालू वित्तीय वर्ष में गृहकर/जलकर में 10 प्रतिशत छूट एवं सम्बन्धित वर्ष में कर जमा न करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर/जलकर पर 12 प्रतिशत सरचार्ज साधारण व्याज की दर से वसूली किये जाने का विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सरचार्ज 12 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार है।

विशेष प्रस्ताव स0—8

राजस्व अधीक्षक की आख्यानुसार नगर निगम के राजस्व हित में नगर निगम/नजूल भूमि पर बनी दुकानों पर अवैध रूप से काबिज कब्जेदारों एवं मूल आंवटियों की मृत्यु पश्चात उनके वारिसों के नाम दुकानों के आवंटन के लिये नीति निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उचित होगा कि, सिकमी किरायेदार के रूप में काबिज व्यक्ति को किरायेदार मानते हुये, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट को आधार मानकर दुकान का प्रीमियम निर्धारित करते हुये। इसी प्रकार मृतक के वारिसों के प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 0.25 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित कर वर्तमाना किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि अथवा निम्न तालिकानुसार निर्धारित न्यूनतम किराया जो भी अधिक हो, निर्धारित करते हुये नियमित किया जाना उचित होगा।

क्र0स0	मार्केट का नाम	प्रस्तावित किराया प्रतिमाह
01	वृन्दावन कार्यालय केम्पस के वाहर	1000/—
02	भैंसा गोदाम (वृन्दावन)	1000/—
03	डाक बंगला	1000/—
04	हजारीमल सोमानी इण्टर कॉलेज फील्ड	1000/—
05	अटल्ला चुंगी पानी की टंकी	1500/—
06	बांके बिहारी पाठशाला के बगल में, वृन्दावन	1000/—
07	मुखर्जी पार्क	1000/—
08	रेलवे चुंगी, वृन्दावन (मुखर्जी पार्क)	1000/—
09	सीवेज फार्म पागल बाबा के सामने वृन्दावन	1000/—
10	आजाद मार्केट , डीग गेट, भूतल	1500/—
11	आजाद मार्केट , डीग गेट, प्रथम तल	1000/—
12	नगर निगम परिसर , भूतल	1500/—
13	डैम्पीयर नगर , भूतल	1500/—
14	जलकल कम्पाउन्ड, भूतेश्वर	1500/—
15	जवाहर हाट मार्केट ब्लाक ए,बी,सी	1000/—
16	जवाहर गंज	1500/—
17	जनरल गंज	1500/—
18	आर्य समाज रोड	1500/—
19	केलन गंज तहखाना	1000/—
20	तिलकद्वार	1500/—
21	जवाहर हाट गोदाम	1500/—
22	जुबली पार्क	1500/—
23	सौंख रोड	1500/—
24	अन्य दुकानें	1500/—

विषय मा0 सदन के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। संशोधन के साथ कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

क्रमशः 3

प्रस्ताव सं0—09 मुख्य अभियंता सिविल नगर निगम मथुरा—वृन्दावन की आख्यानुसार भूतेश्वर जलकल परिसर स्थित नगर निगम की भूमि पर 5 मजिंला निगम का मुख्य कार्यालय निर्माण कराये जाने सम्बन्धी विषय पर मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2018 के प्रस्ताव सं0 10 के द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। विषय मय पत्रावली मा0 सदन के समक्ष आदेशार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित। आगामी समस्त कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
प्रस्ताव सं0—10 अवर अभियंता (नजूल) की आख्यानुसार होमगार्ड कार्यालय भवन हेतु होमगार्ड कमाण्डेट मथुरा के पत्र पर अपर जिलाधिकारी मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा की सीमान्तर्गत जो राजस्व अभिलेखों मे ग्राम लोहवन स्थिति खसरा संख्या 297 रकबा 0.105 हेक्टेयर भूमि जोकि कृषि योग्य भूमि अंकित है, एंव मौके पर खाली है, को होमगार्ड कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने के अनुरोध पर मा0 कार्यकारणी समिति ने बैठक दिनांक 09.02.2018 के प्रस्ताव सं0 14 द्वारा भूमि सशुल्क दिया जाना स्वीकार कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये गये थे। विषय मा0 सदन के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।
प्रस्ताव सं0—11 मुख्य अभियंता (सिविल) की आख्यानुसार कृष्णा नगर स्थित मयंक गैस सर्विस के सामने नगर निगम की खाली भूमि पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा ने अपने बोर्ड प्रस्ताव सं0 14 दिनांक 20.09.2010 द्वारा श्री सनातन धर्म मन्दिर ट्रस्ट कृष्णा नगर मथुरा को बच्चों के पार्क के विकास हेतु सशर्त अनुमति दी गई थी, परन्तु आज दिनांक तक ट्रस्ट द्वारा इस कार्य में कोई रूचि नहीं ली गई, जमीन आज भी पूर्ववत् स्थिति में है एवं अवैध कब्जे की सम्भावना बनी हुई है। उक्त परिस्थितियों में नगर पालिका परिषद मथुरा के प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.09.2010 को निरस्त करते हुये रिक्त लगभग 1900 वर्ग मी0 खाली भूमि पर पथ विक्रेताओं के लिये फूड पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारणी समिति ने बैठक दिनांक 09.02.2018 के प्रस्ताव सं0 17 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विषय मा0 सदन के समक्ष मय पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया कि फूड पार्क के साथ पार्किंग का भी सुझाव पुनः प्राप्त कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
प्रस्ताव सं0—12 मुख्य अभियंता (सिविल) की आख्यानुसार जुबली पार्क स्थित नगर निगम की दो एकड़ भूमि पर 02 फ्लोर पार्किंग, 150 पथ विक्रेताओं एवं लोगों के बैठने हेतु निर्माण कार्य कराया जाना के सम्बन्ध में कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2018 की प्रस्ताव सं0 18 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के अधिवेशन में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। विषय मा0 सदन के समक्ष मय पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।
प्रस्ताव स0—13 नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा के गठित होने के फलस्वरूप क्षेत्र आदि काफी विस्तृत हो गया है। निगम के विभागीय कार्यो को सुचारू रूप से गति देने हेतु नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा को चार जोनों (मथुरा, वृन्दावन, औरगांबाद, भूतेश्वर जलकल कम्पाउण्ड) मे विभक्त किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित ।
प्रस्ताव स0—14 जवाहर वाग कांड मथुरा में शहीद हुये पुलिस अधीक्षक नगर स्व0 श्री मुकुल द्विवेदी की याद में नगर निगम मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में किसी पार्क/चौराहा का नाम श्री मुकुल द्विवेदी के नाम पर रखे जाने सम्बन्धी विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित। पार्क को चिन्हित कर आगमी समस्त कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
प्रस्ताव स0—15 जवाहर वाग कांड मथुरा में शहीद हुये थानाध्यक्ष फरह स्व0 श्री संतोष यादव की याद में नगर निगम मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में किसी चौराहे का नाम श्री संतोष यादव के नाम पर रखे जाने सम्बन्धी विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार /अनुमोदित। पार्क को चिन्हित कर आगमी समस्त कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

क्रमशः 4

<u>प्रस्ताव स0—16</u>

पत्र पार्षदगण श्री राजेश सिंह एवं श्री रामदास चतुर्वेदी कि भरतपुर गेट मनोहरपुरा स्थित कट्टीघर पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा कट्टीघर में पशु कटान पर रोक लगा दी गई है, तथा कट्टीघर के स्थान/भूमि पर अवैध कब्जे की संम्भवना बनी हुई है। वहॉ के स्थानीय नागरिकों की आवश्यकता देखते हुये कट्टीघर के स्थान/भूमि पर बच्चों के खेलने हेतु पार्क बनाये जाने सम्बन्धी विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव स0—17</u>

श्री हेमन्त अग्रवाल, उपसभापति, कार्यकारिणी समिति नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा कि निगम के समस्त पार्षदगणों के क्षेत्र मे उनके नाम व विवरण सहित दो—दो बोर्ड लगवाये जाने का अनुरोध किया है। विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव स0—18</u>

मुख्य स्वच्छता निरीक्षक की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा के क्षेत्र को प्रदूषण मुक्ति हेतु प्लास्टिक/पॉलिथीन फ्री जोन घोषित किये जाने सम्बन्धी विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव स0—19</u>

मुख्य स्वच्छता निरीक्षक की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा मे सीवर सफाई कार्य पर कार्यरत समस्त विभागीय कर्मचारियों का दुर्धटना बीमा, (भारतीय जीवन बीमा निगम) एल0आई0सी0 बीमा कम्पनी के माध्यम से कराये जाने एवं प्रत्येक कर्मचारी हेतु सुरक्षा उपकरण क्रय किये जाने सम्बधी विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव स0—20</u>

मुख्य स्वच्छता निरीक्षक की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा क्षेत्र मे आवरा पशुओं को पकड़ने हेतु कर्मचारियों की टीम गठित कर वन विभाग एवं वैटनरी कालेज, मथुरा से प्रशिक्षण दिलाने सम्बधी विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव स0—21</u>

नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा की आख्यानुसार सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास अनुभाग—1 संख्या 3390/9—1—15—66सा/2001 दिनांक 21 नवम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय अभिकरण मथुरा (डूडा) के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिक रू0 259.04/— प्रतिदिन प्रति सफाई कामगार की दर से 200 सफाई कामगार अनुबन्ध पर रखे गये थे, जिनकी दिनांक 31.03.2018 को अनुबन्ध एंव आपूर्ति अवधि समाप्त हो गयी है। नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा की सीमान्तर्गत की सफाई व्यवस्था देखते हुये वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए 628 सफाई कामगारों की आपूर्ति राष्ट्रीय अभिकरण मथुरा (डूडा) से किये जाने हेतु नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार/अनुमोदित है।

<u>प्रस्ताव स0—22</u>

नगर निगम मथुरा—वृन्दावन मथुरा के समस्त पार्षदगण एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारियों आदि के परिचय पत्र बनवाया प्रस्तावित है। विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

<u>प्रस्ताव स0—23</u>

पत्र श्री मदन मोहन प्रान्तीय उप महामंत्री स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ शाखा मथुरा कि नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा में कार्यरत् कर्मचारियों के निगम क्षेत्र में अपने स्वामित्वों के भवनों को गृहकर/जलकर एवं सीवर टैक्स माफ करते हुए कर मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। अस्वीकार है।

प्रस्ताव स0—24

पत्र श्री मदन मोहन प्रान्तीय उप महामंत्री स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ शाखा मथुरा कि नगर निगम में कार्यरत् लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर राज्य कर्मचारियों की भॉति केन्द्रीयित सेवा के पदों/प्रशासनिक अधिकारी आदि उच्च पदों पर पदोंन्नति किये जाने का अनुरोध किया है। विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है। अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त/लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाये।

प्रस्ताव स0—25

पत्र श्री मदन मोहन प्रान्तीय उप महामंत्री स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ शाखा मथुरा कि पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद् मथुरा में सेवाकाल के दौरान कार्यरत् किसी कर्मचारी की आकास्मिक मृत्यु होने पर रू0 3,000/— अनुदान के रूप मृतक के परिवार को दिये जाते थे। वर्तमान में मंहगाई को दृष्टिगत में रखते हुये किसी कर्मचारी की सेवाकाल में आकास्मिक मृत्यु होने पर रू0 10,000/— अनुकम्पा राशि तुरन्त सहायता हेतु मृतक के परिवार को दिये जाने का अनुरोध किया गया है। विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव स0—26

अवर अभियंता (जल) की आख्यानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र में जनता द्वारा नगर निगम से बिना अनुमति लिए अत्यधिक संख्या में समरसेविल एवं आर0ओ0 प्लांट लगा कर जलदोहन किया जा रहा है, जिससे भूमि का जल स्तर प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। जल स्तर को नियत्रित करने हेतु नगर निगम क्षेत्र में घरेलू समरसेविल अधिष्ठापन पर शुल्क रू0 5,000/— अघरेलू (कामर्शियल) समरसेविल अधिष्ठापन पर शुल्क रू0 10,000/— एवं आर0ओ0 लगाने की स्वीकृति पर शुल्क रू0 25,000/— निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव मय पत्रावली मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। समरसेविल पर संशोधन के साथ कार्यकारिणी की सहमति एवं आर0ओ0 पर रू0 25,000/— के स्थान पर रू0 50,000/— किये जाये।

प्रस्ताव स0—27

अवर अभियंता (जल) की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमा अन्तर्गत 219 नलकूप 1841 इण्डिया मार्का—2 हैण्डपम्प 243 नग 4 इंची समरसेविल द्वारा नगर निगम क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की जा रही है। जलकल विभाग पर नगर निगम द्वारा अधिष्ठान पर 8 करोड़, नलकूप संचालन पर 3 करोड़, जलापूर्ति पर 7 करोड़, विद्युत व्यय पर 4.5 करोड़ का व्यय कुल 22.5 करोड़ का व्यय वार्षिक किया जा रहा है। जबकि जल मूल्य के नाम पर निगम को प्राप्ति नगन्य है ऐसी दशा में नलकूपों की मरम्मत कराना , हैण्डपम्प मरम्मत कराना, पाइप लाइन विस्तार कराना, सम्भव नहीं हो पा रहा है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 ऑडिट टीम द्वारा जलमूल्य न लिए जाने के कारण ऑडिट आपत्ति लगायी गई थी, जो वर्तमान में लोक लेखा समिति के समक्ष विचाराधीन है कि नगर निगम द्वारा जलमूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। अमृत योजना के अन्तर्गत एम0ओ0यू0 (अन्डर स्टैटमेन्ट ऑफ ऐग्रिमेन्ट) पर जलमूल्य लिए जाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा हस्ताक्षर किय गये है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को एवम् निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन लखनऊ के पत्र संख्या—5/81—सा/1998 लखनऊ दिनांक 29.01.1998 जो जल सम्पूर्ति में निहित व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत जलमूल्य का विधि के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में घरेलू कनैक्शन पर न्यूनतम रू0 75/— प्रतिमाह एवं अघरेलू (कामर्शियल) कनेक्शन पर रू0 200/— प्रतिमाह निर्धारण किया जाना है विषय मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है। निगम क्षेत्र में वाटर मीटर लगवाये जाये।

प्रस्ताव स0—28

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 54 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा कि विकास समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। विषय मा0 सदन के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

अधिवेशन के दौरान मा0 महापौर महोदय की आज्ञा से रखे गये प्रस्ताव

प्रस्ताव स0—29

सहायक अभियंता वि0/या0 की आख्यानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के विभिन्न वार्डो के मुख्य पार्को एवं मुख्य चौराहों पर 10 मीटर जी0आई0 ऑक्टोगोलन पोल स्थापित करते हुये 6 लाईट वाले सेमी हाईमास्ट लगाये जाने है, जिसमें एल0ई0डी0 लाईटें ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा एवं शेष कार्य निगम द्वारा कराया जाना है। 70 नग सेमी हाईमास्ट लाईटों की स्थापना पर रू0 49 लाख का अनुमानित व्यय किये जाने की स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2018 के प्रस्ताव सं0 24 द्वारा की जा चुकी है। विषय मा0 सदन के समक्ष मय पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।

प्रस्ताव स0—30 श्री बलराम बाबा, अध्यक्ष, श्री रामानन्दीय विरक्त वैष्णव समिति, वृन्दावन के पत्र दिनांक 12.04.2018 जिसके द्वारा वृन्दावन—छटीकरा मार्ग स्थित रमणरेती पुलिस चौकी और परिक्रमा मार्ग के मध्य सड़क पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति लगवाने हेतु अनुमति दिये जाने की मांग की है। उक्त मूर्ति लगाने हेतु पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद् वृन्दावन की बोर्ड बैठक दिनांक 16.12.2016 के प्रस्ताव सं0 49 द्वारा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जा चुका है। सम्पूर्ण विषय मा0 सदन के समक्ष मय विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। क्षेत्रीय पार्षद श्री राधाकृष्ण पाठक की सहमति के साथ सर्वसम्मति से स्वीकार है।
प्रस्ताव स0—31 श्री अनुराग चतुर्वेदी , अभ्युदय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किये जाने हेतु बोर्ड प्रस्ताव पारित कर शासन को भिजवाये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्पूर्ण विषय मा0 सदन के समक्ष मय विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।
प्रस्ताव स0—32 नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा सीमान्तर्गत विद्युत पोलों पर ई0ई0एस0एल0 कम्पनी द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप एल0ई0डी0 लाईटों को न लगाये जाने एवं लगायी गई एल0ई0डी0 लाईटों का मेंन्टीनेंस भी ना किये जाने के दृष्टिगत मा0 पार्षदगणों द्वारा नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा एवं ई0ई0एस0एल0 कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध को समाप्त किये जाने एवं नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा द्वारा (पूर्व नगर पालिका परिषद् की भॉति) अपने स्तर से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्पूर्ण विषय मा0 सदन के समक्ष मय विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है। आगामी कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
प्रस्ताव स0—33 नगर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा सीमान्तर्गत सफाई कार्य के उपरान्त गन्दगी फैलाने वाले भवन स्वामी/ढकेल/खोमचे/चाय नाश्ता व मिठाई वाले/होटल मैरिज होम/धर्मशालाओं/अस्पतालों के विरूद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाये। सम्पूर्ण विषय मा0 सदन के समक्ष मय विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है।
प्रस्ताव स0—34 नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के गठन होने के उपरान्त अभी तकं कोई भी नगर निगम का प्रतीक चिन्ह (Logo) नहीं बनाया गया है, वर्तमान में नगर निगम का प्रतीक चिन्ह (Logo) तैयार कर मा0 सदन के समक्ष मय पत्रावली विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। सदन अवगत हुआ। सर्वसम्मति से स्वीकार है। प्रतीक चिन्ह (Logo) प्रति मिनट बुक पर चस्पा करें।

ह0—मुकेश आर्य बन्धु
महापौर
दिनांक— 29.06.2018